



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122020-223615
CG-DL-E-09122020-223615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3930|
No. 3930|

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/अग्रहायण 18, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

का.आ.4471(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, “महाराष्ट्र” शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 12 ज के सामने, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक से संबंधित स्तंभ (2), स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी - मटेरिया मेडिका	एम.डी.(होम्यो.) (मटे.मेडि.)	“जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक (यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो मोतीवाला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नासिक से उक्त अवधि के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं।)”
	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी - होम्योपैथिक फिलॉसफी	एम.डी.(होम्यो.) (होम्यो.फिल.)	
	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी -रिपर्टरी	एम.डी.(होम्यो.) (रिप.)	
	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी -प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन	एम.डी.(होम्यो.) (मेडि.)	
	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी -पेडियाट्रिक्स	एम.डी.(होम्यो.) (पेडि.)	

[फा.सं. आर-14013/02/2003-एचडी (तक.)]

पी.एन.रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण—होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची का प्रथम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 और अंतिम बार संशोधन का.आ. संख्यांक 3953(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2020 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,
SIDDHA AND HOMOEOPATHY**

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2020

S.O. 4471 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule, under the heading “MAHARASHTRA”, against serial number 12 H, relating to Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, after the entries in columns (2), (3) and (4), the following entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
	“Doctor of Medicine in Homoeopathy-Materia Medica	M.D.(Hom.) (Mat. Med.)	From January, 2018 to December, 2019 (if granted to the students who have passed out during the said period from Motiwala Homoeopathic Medical College and Hospital, Nashik).”.
	Doctor of Medicine in Homoeopathy-Homoeopathic Philosophy	M.D. (Hom.) (Hom. Phil.)	
	Doctor of Medicine in Homoeopathy-Repertory	M.D.(Hom.) (Rep.)	
	Doctor of Medicine in Homoeopathy-Practice of Medicine	M.D.(Hom.) (Med.)	
	Doctor of Medicine in Homoeopathy-Paediatrics	M.D.(Hom.) (Paed.)	

[F.No.R-14013/02/2003-HD(Tech)]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) was first amended *vide* notification number S.O.3496, dated the 11th October, 1977 and was last amended *vide* number S.O. 3953 (E), dated the 2nd November, 2020.